बाली (जिला-पाली) राज.

$21\frac{2}{24}$ वादिगण के अधिवक्ता व वादी सं. 1, 2, 3 के प्रा.पत्र पर पत्रावली आज रुबरुवाई पर ली गई। वादी सं. 1, 2, 3 व उनके अधिवक्ता व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्र. पत्र O-23, R-1 CPC पेश कर पक्षकारों के मध्य आपसी समझाइश से राजीनामा हो जाने से पुनः नया वाद प्रस्तुती की अनुमति के साथ उक्त वाद को वापिस लिये जाने का निवेदन किया। चूंकी वादीगण के अधिवक्ता व वादिगण स्वयं वाद-पैरवी नहीं चाहते हैं लिहाजा आदेश-23 नियम-1 CPC के प्रावधानों अनुसार वादी का नया

Counsel for Plaintiffs

Scanned by CamScanner

वाद प्रस्तुती की अनुमति के लिये उक्त वाद
जरिये निशॉवल प्र.पत्र के अंकित ख्यालिज
किया जाता है पत्रावली फैशला शुमार
होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner